ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 106-107**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (जहानाबाद जिला के परिप्रेक्ष्य में)

डॉ० गीता कुमारी

अतिथि प्राध्यापिका–समाजशास्त्र विभाग, एस. एन. सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद (बिहार), भारत

Received-13.10.2024, Revised-20.10.2024, Accepted-26.10.2024 **E-mail : akabar786ali888@gmail.com**

सारांशः ***सन् 1993 में पारित पंचायत राज अधिनियम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर आधारित गतिविधियों के संचालन का दायित्व स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को दिया गया है। ग्राम पंचायतों में ग्रामीण जनता के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है जो मुख्यतः रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य आधारभूत सुविधाओं (बिजली, पानी, सड़क) तथा सामुदायिक विकास पर आधारित है। इन योजनाओं के संचालन का दायित्व पंचायत राज संस्थाओं को दिया गया है जो जनसहभागिता के माध्यम से योजनाओं को इस प्रकार संचालित कर रही है जिनसे ग्रामीण जनता विशेषकार महिलाओं की आय तथा रोजगार में वृद्धि करके, उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक रूप से विकसित किया जा सके।***

कुंजीभूत शब्द– पंचायती राज, आर्थिक सशक्तिकरण, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास, जनसहभागिता

साहित्य सर्वेक्षण– महिलाओं से संबंधित अनेक अध्ययन हुए हैं, जिनमें कौशिक सुशीला (1993), खन्ना, बी. एस. (1994), महिपाल (1997), चतीन्द्र सिंह (1998), सेठ प्रवीण (1998) आदि का अध्ययन उल्लेखनीय है।

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरूआत पंचायत राज में महिलाओं के आरक्षण से हुई है। जिसके माध्यम से विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी हो सकी, लेकिन उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक सीमाएँ हैं। इससे भी अधिक महिलाओं की आर्थिक–सामाजिक भागीदारी है। आर्थिक स्वतंत्रता स्वावलंम्बन पैदा करती है और अधीनता से मुक्ति दिलाती है। इस सम्बन्ध में अध्ययन बहुत कम है कि महिलाएँ किस प्रकार आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त करे और अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकें, जिससे परिवार में उनकी भूमिका को महत्व मिले। इसलिए पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ चलाई जा रही है।

अध्ययन के उद्धेश्य– प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्धेश्य थेः

1. महिला विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।
2. महिलाओं के आर्थिक विकास संबंधी चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका का आंकलन करना।
3. महिलाओं की आर्थिक एवं आयसर्जक गतिविधियों का अध्ययन करना।
4. महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के स्तर का अध्ययन करना।
5. आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को ज्ञात करना।

उपकल्पना– प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उपकल्पनाएँ थेः

1. योजना का लाभ मिलने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
2. हितग्राही के चयन में भेद–भाव किया जाता है।
3. गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अभाव है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय– दर्घा एवं यमुनी नदी के संगम पर जहानाबाद जिला का मुख्यालय मुगल बादशाह औरंगजेब की बहन जहानआरा का स्मृति चिह्न है। "आइना–ए–अकबरी" में उल्लेख है कि 17वीं शताब्दी में जहानाबाद बुरी तरह से अकालग्रस्त था और लोग भूखमरी के शिकार थे। शहंशाह ने अपनी बहन की यादगारी में जहानआरा नामक मंडी की स्थापना की। कई काजी नियुक्त किये गये, जो रसद की आपूर्ति की व्यवस्था की देख–भाल करते थे। समय की गति के मुताबिक जहानाआरा नाम हट कर यह स्थान जहानाबाद के नाम से लोकप्रिय हुआ।

जिला के बनने के पूर्व 1872 से जहानाबाद गया जिला का एक अनुमंडल था। आतंकबाद का उन्मूलन एवं विकास की गति त्वरित करने हेतु जहानाबाद को एक स्वतंत्र जिला के दर्जा से दिनांक 01/08/1986 से सम्मानित किया गया। इसमें 07 सामुदायिक विकास खण्ड है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 1569 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला 250–00 से 250–150 उत्तर आक्षांश एवं 840–300 से 850–150 पूरब देशान्तर के बीच अवस्थित है।

निदर्शन– जहानाबाद जिला में 07 प्रखंड हैंः जहानाबाद, काको, मोदनगंज, घोसी, हुलासगंज, मखदुमपुर तथा रतनी, फरीदपुर। इन प्रखंडों में काको प्रखंड के बरावाँ, सैदाबाद, नोनही, दमुंहा, खालीसपुर, पिजैरा, सलेमानपुर, बारा, उतरसेरथु तथा काको पंचायत का चयन किया सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली के द्वारा किया गया तथा इसी प्रणाली के द्वारा 100 हितग्राहीयों का चयन किया गया।

तथ्य संकलन– प्राथमिक समंकों के संग्रहण हेतु साक्षात्कार अनुसूची को माध्यम बनाया गया है, क्योंकि शोध कार्य में उत्तरदाता वर्ग ग्रामीण महिलाएँ हैं, जो प्रायः अनपढ़ या निरक्षर होती है, इसलिए प्राथमिक समंकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण हितग्राही महिलाओं से प्राथमिक रूप से समंक संग्रहित किए गए हैं।

द्वितियक तथ्यों में शोध साहित्य आदि का उपयोग किया गया है।

तथ्य प्रक्रियाकरण– संकलित द्वितियक तथ्यों को अध्ययन के उद्धेश्यों के अनुसार वर्गीकृत कर उनका उपयोग एवं विश्लेषण किया गया।

उपलब्धियाँ– 02 प्रतिशत, 46 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 02 प्रतिशत महिलाओं की आयु क्रमशः 18 वर्ष, 19–30 वर्ष, 31–50 वर्ष, 51 एवं उससे अधिक आयु की है।

76 प्रतिशत महिलाएँ क्रमशः विवाहित, अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

56 प्रतिशत, 36 प्रतिशत तथा 06 प्रतिशत महिलाएँ क्रमशः अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य जाति की है। 56 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के परिवार एकल हैं, जबकि 44 प्रतिशत महिलाओं के परिवार संयुक्त हैं। 36 प्रतिशत, 34 प्रतिशत, 22 प्रतिशत, 06 प्रतिशत तथा 02 प्रतिशत महिलाएँ क्रमशः निरक्षर, साक्षर, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की है।

66 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 06 प्रतिशत, 08 प्रतिशत तथा 04 प्रतिशत महिलाएँ क्रमशः मजदूर, गृहिणी, स्वरोजगार एवं अन्य व्यवसाय से जुड़ी है। 48 प्रतिशत, 42 प्रतिशत, 08 प्रतिशत तथा 02 प्रतिशत महिलाओं का पारिवारिक मासिक आय क्रमशः 2000–3000 रूपये, 3001–5000 रूपये तथा 5001 से अधिक है। 04 प्रतिशत, 56 प्रतिशत, 28 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत महिलाएँ क्रमशः झोपड़ी, कच्चा आवास, अर्द्धपक्का आवास तथा पक्का आवास में रहती है। 07 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं की जानकारी है। 28 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राप्त हुई, 42 प्रतिशत को आँगनबाड़ी से, 12 प्रतिशत को स्थानीय लोगों से तथा 18 प्रतिशत महिलाओं को अन्य स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई है। 36 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 24 प्रतिशत, 30 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं का लाभ क्रमशः ग्राम पंचायत के माध्यम से, शासकीय अधिकारियों द्वारा पंचायत प्रतिनिधि द्वारा तथा स्वयं के प्रयासों से प्राप्त हुआ है। 44 प्रतिशत, 32 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार, पंचायत द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन क्रमशः अच्छा, संतोषजनक तथा असंतोषजनक है।

68 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि योजनाओं के संचालन से गरीबी एवं बेरोजगारी का उन्मूलन हुआ है।

70 प्रतिशत महिलाएँ मानती है कि पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं से महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ है।

58 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि योजनाओं के संचालन में गरीब एवं बेसहारा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

66 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं के संचालन से महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 58 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि योजना का लाभ मिलने से उनकी आय के स्त्रोत में वृद्धि हुई है।

78 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि योजना का लाभ लेने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जिससे परिवार में उनका सम्मान बढ़ा है। 62 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि हितग्राही के चयन में भेदभाव होता है। 60 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि महिलाएँ समय पर ऋण चुकायी है।

56 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि सरपंच के परिवार वाले अनावश्यक दखल देते हैं। इससे अनेक ग्रामों में पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे याजनाओं के क्रियान्वयन पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

56 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की अनुपस्थिति है। इसलिए उनकी आर्थिक एंव सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पा रहा है।

सर्वाधिक महिलाओं ने कहा कि सरपंच द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है। 68 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि सरपंच द्वारा भाई–भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायतों में विश्वास खत्म होता जा रहा है।

46 प्रतिशत सरपंचो द्वारा कहा गया कि उन्हें ग्रामवासियों का सहयोग नहीं मिल रहा है जिससे ग्राम पंचायत के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आय तथा रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि समय पर पर्याप्त वित्तीय राशि उपलब्ध नहीं होता है। इस बात से 52 प्रतिशत सरपंच सहमत हैं। उत्तरदाताओं से स्पष्ट है कि शासन द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तो किया जा रहा है किन्तु लाभ प्राप्ति योजनाएँ बाधाओं एवं समस्याओं से घिरी हुई है। जिसके कारण महिलाओं को अनेक समस्याएँ होते हैं– भ्रष्टाचारी, निरक्षता, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का असहयोग, अत्यधिक कागजी कार्यवाही, भेदभाव, अज्ञानता इत्यादि समस्याओं एवं बॉधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतों के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के उपचार के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में सतत् सुधार किए जाएँ और ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनका सतत् मूल्यांकन एवं निरीक्षण भी करवाया जाए, जिससे ग्राम पंचायतों के कार्यों का ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता में जागरूकता एवं सहायोग की भावना का विकास करके ग्राम पंचायतों के कार्यों को अधिक सरल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण सहयोग पर आधारित कार्यक्रम एवं योजनाओं के सफल होने की संभावना बहुत अधिक होता है।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतों में सरपंचों को और अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और इनके कार्यों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में ग्रामीण जनता को भी इसमें शामिल करना चाहिए। सभी ग्राम के कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित हो सकती है तथा ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बेहतर तरीके से सुधार किया जा सकता है क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली की सबसे सशक्त भूमिका होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जेपी, आर. पी. एवं मंगलानी रूपा (1998) : पंचायती राज के नवीन आयाम, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा0 लि0, जयपुर।
2. कौशिक सुशील (1993) : वुमन्स एण्ड पंचायती राज, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. कुमावत ललित (2004): पंचायती राज एंव वंचित महिला शमूह का उभरता नेतृत्व, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
4. राठौर मधुर (2002) : पंचायत राज और महिला विकास, पॉइंटर पब्लिशर्स, जयपुर।
5. शर्मा प्रेमनारायण, झा संजीव कुमार, विनायक वाणी, विनायक सुषमा (2008) : महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
6. तिवारी आर. पी. एवं शुक्ला डी. पी. (1999) : भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान, ए. पी. एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली।
7. बंधोपाध्याय, डी. और मुकर्जी अमिता (2007) महिला पंचायत सदस्यों का सशक्तिकरण, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नईदिल्ली।
8. महिपाल (2002) : पंचायतों में महिलाएँ सीमाएँ और संभावनाए, सारांश प्रकाशन प्रा0 लि0 दिल्ली।

*****